1 78

11/निग0/रीवा/2018/4837

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, (म0प्र0)

Rs 30/-

1— श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नी श्री मोहन प्रसाद मिश्रा, उम्र 62 वर्ष, पेशा गृहणी।

2— डॉ0 संकल्प मिश्रा तनय श्री मोहन प्रसाद मिश्रा उम्र 41 वर्ष, पेशा प्राईवेट चिकित्सक, दोनो निवासी ढेकहा, तह0 हुंजूर, जिला रीवा म0प्र0 ———————— **निगरानीकर्तागण / आवेदकगण**

बनाम्

1— देव कुंमार मिश्रा तनय श्री रामहित मिश्रा, उम्र 46 वर्ष,

2— देवेश कुमार मिश्रा तनय श्री रामहित मिश्रा उम्र 50 वर्ष,

दोनो निवासी ढेकहा, तह0 हुंजूर, जिला रीवा म0प्र0

———————— **गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0 विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 प्र0क0 93अ—12/2017—2018 आदेश दिनांक 18.11.2017 में पारित

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :—

1— राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 का आदेश दिनांक 18.11.2017 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2— अनावेदक कमांक 01 के द्वारा दिनांक 30.12.2006 को सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सरहदी कास्तकारो का आवेदन

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / रीवा / भूरा / 2017 / 4837

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
28.05.–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र प्रसाद मिश्रा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 93 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 देव कुमार मिश्रा तनय श्री रामहित मिश्रा निवासी ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के यहां दिनांक 30.12.16 को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि आराजी नम्बर 91 / 2, 3, 4 रकवा 1.308 है0 का सीमांकन करने हेतु अनुरोध किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी हल्का दल सहित सीमांकन कर रिपोर्ट देने हेतु आदेशित किया। पटवारी यान दल हल्का ढेकहा, करहिया, एवं बोदा के द्वारा ग्राम ढेकहा की आराजी कमांक 91 / 2, 3, 4 रकवा 1.308 है0 की पैमाइस कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.11.17 को अनुमोदित किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक अधिवक्ता श्री मुनेन्द्र प्रसाद मिश्रा उपस्थित होकर तर्क किया है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 18.11.17 सर्वथ विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदक कमांक 1 के द्वारा दिनांक 30.12.16 को सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत तकिया गया जिसमें सरहदी कास्तकारों का आवेदन नाम तो लिखा गया लेकिन कोई भी सूचना सरहदी कास्तकारों को नहीं दी गई तथा बिना सूचना दिये ही स्थल पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार कर आदेश दिनांक 18.11.17 को पारित किया गया है जो विधि विधान के प्रतिकूल है तथा कायम रखने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि भूमि कमांक 91 का कुल रकवा 6.47 एकड रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा सुभद्रा देवी एवं सुशीला देवी के द्वारा लक्षमी देवी से दिनांक 23.10.79 को संयुक्त रूप से कय किया गया था तथा उपरोक्त भूमि में संयुक्त रूप से सुभद्रा देवी एवं सुशीला देवी का कब्जा दखल वर्ष 1990 में सुविधा को देखते हुये उक्त सुभद्रा देवी ने अपने पुत्र संकल्प आवेदक कमांक 1 एक अन्य पुत्र विकल्प कुमार जिनकी मृत्यु हो चुकी है के नाम एक–एक एकड़ रकवा सहमति के आधार पर नामांतरण करा दिया था तथा सुशीला देवी की मृत्यु 2011 में होने के बाद वारिसाना नामांतरण अनावेदक कमांक 1, 2 के नाम प्रमाणित किया गया उपरोक्त भूमि सहखाते की भूमि है। जिसमें सुविधा अनुसार बटांक जरूर डाला लेकिन नक्शा तरमीम की कार्यवाही

नही की गई और पूरे रकवा में संयुक्त रूप से आवेदक एवं अनावेदकगण काबिज़ दाखिल है किन्तु उपरोक्त किसी भी बिन्दु को देखे बिना ही जो विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि भूमि कमांक 91 के उत्तर तरफ नाला है कोई रोड नहीं है तथा पूर्व तरफ भी कोई रोड़ नहीं है दक्षिण एवं पश्चिम तरफ जहां रोड़ थी उसी तरफ सीमांकन भूमि कमांक 91/2, 91/3, व 91/4 का कराया गया हैजबकि उपरोक्त भूमि के अलावा भूमि कमांक 91/1, 91/5, व 91/6 भी है किन्तु उपरोक्त भूमि का न तो सीमांकन किया गया और न किसी सीमा चिन्ह से चिन्हांकित ही किया गया है। अनावेदकगणों के बताये अनुसार संपूर्ण कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 18.11.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता श्री विकम सिंह उपस्थित होकर तर्क किया है कि आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र में इस तथ्य को छुपाया है कि भूमि कमांक 91 रकवा 6.47 एकड़ में अलग अलग बटांको का नक्शा तरमीम पूर्व में ही हो ुका है और उभयपक्ष अपने अपने भाग पर काबिज हैं अनावेदकगण ने अपनी भूमि का सीमांकन करवाया था और यदि आवेदकगण चाहते तो वह भी अपनी भूमि का सीमांकन करवा सकते थे अनावेदकगण के सीमांकन के समय श्री मोहन प्रसाद जो आवेदिक कमांक–1 के

पति एवं आवेदक कमांक–2 के पिता होकर अपने परिवार के मुखिया है स्वयं उपस्थित थे और उन्होने भी हस्ताक्षर किये थे। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 18.11.17 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में अंकित किये गये है।

6–मेरे द्वारा प्रकरण का अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि पटवारी द्वारा दिनांक 9.11.17 को स्थल पंचनामा सह सूचना पत्र एक साथ विवरण दिया गया है कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सरहदी कास्तकारों को पहले सूचना पत्र जारी किया जाता है तथा उसमें सीमांकन किस दिनांक को और कितने बजे सीमांकन किया जावेगा, यह सूचना पूर्व में दी जाती है तथा सूचना पत्र पर सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर कराये जाते है, उसके पश्चात सीमाचिन्ह निर्धारित कर सीमांकन की कार्यवाही की जाती है। सीमांकन पटवारी दल द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, सूचना पत्र दिनांक 9.11.17 को जारी किया गया है और उसी दिन सीमांकन की प्रकिया पूर्ण कर पंचनामा भी उसी सूचना पत्र पर अंकित किया गया है जो धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत है। "यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का

सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक के निर्देश के पालन में दिनांक 30.12.16 को पटवारी दल ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज

सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।'' 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमाकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टात 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

" भू–राजस्व संहिता; 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमाएं समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति / आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु

आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना। 2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

7– प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पटवारी दल द्वारा धारा 129 का पालन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.17 उचित प्रतीत नहीं होने के कारण स्थिर रखने योग्य नहीं है।

8–उपरोक्त विवेचना के आधार राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा. के प्रकरण कमांक 93/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.11.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार हुजूर जिला रीवा की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में सरहदी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तथा राजस्व निरीक्षक, एवं पटवारी, दल गठित कर सीमाचिन्हाकिंत कर धारा 129 में बनाये नियमों का पालन करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें।

सदस्य